पंचम् अध्याय

"महिला पुलिस कर्मियों के वैवाहिक एवं पारिवारिक समायोजन के आयाम"

(क) महिला पुलिसकर्मियों के वैवाहिक आयाम एवं समायोजन :–

भारत में शिक्षित स्त्रियों के लिए नौकरी एवं विवाह के समरूपता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। शिक्षित विवाहित स्त्री द्वारा नौकरी करने की जो लहर आयी है, उसका उसके व्यक्तित्व पर दाम्पत्य जीवन तथा पारिवारिक सम्बन्धों पर असर भी पड़ता है, क्योंकि अब उसे एक ओर गृहणी और दूसरी ओर जीविकोपार्जन दोनों की भूमिका निभानी पड़ रही है। कार्योजित महिलायें इन परिवर्तनों से उत्पन्न तनावों के बावजूद भी अपने वैवाहिक जीवन में किस हद तक सामंजस्य व खुशहाली बनाये रखने में सफल रही है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य को प्रभावित करने वाले तथ्यों, उनकी प्रासंगिकता तथा महत्व का पता लगाना तथा जिस तरह वे अपना प्रभाव डालते हैं, उसका विश्लेषण किया गया है।

कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका का सम्बन्ध उनके वैवाहिक जीवन से है क्योंकि कार्योजन के कारण परिवार के सदस्य, बच्चों का पालन, बच्चों की संतुष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्योजन की वजह से पत्नी का सामाजिक–आर्थिक जीवन उच्च हो जाता है। अतः पति–पत्नी भी अपने सम्बन्धों को अच्छा बनाये रखने के लिए नये–नये दृटिष्कोण अपनाये रहते है। प्रस्तुत अध्ययन में यह कार्यकारी प्राक्कल्पना बनायी गयी है कि महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से उनका वैवाहिक जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण रहता है। जैसे–जैसे कार्योजन का अनुभव बढ़ता है या आयु बढ़ती है, वैवाहिक जीवन का समायोजन,

पारिवारिक जीवन के समायोजन की तुलना में बढ़ता जाता है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न आयामों का विवरण आवश्यक है–

1. वैवाहिक स्थिति और कार्योजन
2. प्रेम विवाह
3. सजातीय एवं अन्तरजातीय विवाह
4. महिला पुलिकर्मियों के वैवाहिक संतुष्टि का स्तर
5. महिला पुलिसकर्मियों के रागात्मक असंतोष का परिणाम

महिला पुलिसकर्मियों के विवाह के तरीके :–

इस अध्ययन के अन्तर्गत महिला पुलिसकर्मियों के विवाह के तरीके का वर्णन किया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिला पुलिस कर्मियों ने माता–पिता द्वारा संयोजित विवाह किया है। परन्तु ये महिला पुलिसकर्मी अपनी इच्छा एवं माता–पिता की राय से विवाह करना चाहती हैं।

सारणी संख्या– 5.1

महिला पुलिसकर्मियों के विवाह के तरीके

क्र0सं0	विवाह के तरीके	संख्या	प्रतिशत
1	माता–पिता द्वारा संयोजित	121	40.33
2	अपनी इच्छा एवं माता–पिता की राय द्वारा	63	21.00
3	प्रेम विवाह	36	12.00
4	उत्तर नहीं	80	26.66

	योग	**300**	**100.00**

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 40.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने माता–पिता द्वारा संयोजित विवाह किया है। 21.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने स्वयं अपनी इच्छा एवं माता–पिता की राय द्वारा विवाह किया है। 12.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने प्रेम विवाह किया है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं।

1. मर्चेन्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग 78.00 प्रतिशत स्त्रियां अपने पति का चुनाव स्वयं करने के पक्ष में थी।
2. हाटे ने अपने अध्ययन में पाया कि अविवाहित स्त्रियों में 74.00 प्रतिशत स्त्रियां अपने जीवन साथी का चुनाव अपने आप करने के पक्ष में हैं।
3. प्रमिला कपूर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षित कामकाजी स्त्रियां न केवल अभिभावकों आदि द्वारा तय किये हुए विवाह चाहती हैं बल्कि उनमें अधिकांश 63.00 प्रतिशत प्रेम विवाह के पक्ष में हैं किन्तु इसके अध्ययन में उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन पाया है। अधिकांश अभिभावकों द्वारा संयोजित किये जाने वाले विवाह को पसन्द करती है एवं प्रेम विवाह के पक्ष में नहीं हैं।

प्रमिला कपूर ने अपने अध्ययन में यह देखा है कि बिना माता–पिता की सहमति से प्रेम विवाह करने वाली स्त्रियों की संख्या में कमी आई है, परन्तु उन्होंने देखा कि माता–पिता की सहमति से प्रेम विवाह करने में यकीन रखने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि

एक परिवार के अर्द्ध पारम्परिक विवाह को स्त्रियां अधिक पसन्द करती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन आरम्भ करने का समय :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन आरम्भ करने के समय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने विवाह के पूर्व कार्योजन प्रारम्भ किया है।

सारणी संख्या– 5.2

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन आरम्भ करने का समय

क्र0सं0	कार्योजन प्रारम्भ करने का समय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाह के पूर्व	124	41.33
2	विवाह के बाद	96	32.00
3	उत्तर नहीं	80	26.66
	योग	**300**	**100.00**

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 41.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाह से पूर्व कार्योजन में आयी था उन्होंने कार्योजन में रहते हुए ही विवाह किया तथा 32.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने विवाह के कुछ वर्षों बाद कार्योजन प्रारम्भ किया तथा 26.66 प्रतिशत अविवाहित महिला पुलिस कार्योजन में हैं। इसमें कुछ ऐसी भी महिला पुलिस हैं जो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कार्योजन में आयी तथा कुछ ऐसी हैं जो आकस्मिक कारण से कार्योजन में आयी।

महिला पुलिसकर्मियों के विवाह का स्वरूप :–

इस अध्याय में महिला पुलिसकर्मियों के विवाह के स्वरूप का वर्गीकरण किया गया है जिसमें अधिकांश महिलाओं में सजातीय विवाह किया है।

सारणी संख्या– 5.3 महिला पुलिसकर्मियों के विवाह का स्वरूप

क्र0सं0	विवाह के स्वरूप का वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सजातीय विवाह	160	53.33
2	अन्तर्जातीय विवाह	60	20.00
3	उत्तर नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जाति में विवाह किया है यद्यपि इसमें कुछ प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने प्रेम विवाह किया है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अन्तरजातीय विवाह किया है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं। इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं ने सजातीय विवाह किया है।

वैयक्तिक इतिहास :–

4.1 :– श्रीमती ''न'' मध्यमवर्गीय परिवार की एक महिला पुलिसकर्मी हैं। इनकी आयु 30 वर्ष की है तथा शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 है। शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य डिप्लोमा भी है। प्रारम्भ में उनके माता–पिता एक अर्द्धशासकीय विद्यालय में शिक्षा का कार्य

करते रहे। इस कारण उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों की पदोन्नति के कारण उनका आर्थिक स्तर बढ़ गया। श्रीमती ''न'' प्रारम्भ से ही आधुनिक विचारों वाली महिला रही तथा पाश्चात्य सभ्यता की ओर उनका अधिक रूझान रहा, इस कारण उन्होंने प्रेम विवाह भी किया उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि इन्हें जीवन में कठोर संघर्ष करना पड़ा। प्रारम्भ में यह महिला सिपाही पद पर तैनात रही तथा पदोन्नति के लिए भी प्रयास करती रहीं।

श्रीमती ''न'' के पति की आय भी बहुत कम है। मन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा तथा अच्छे ढंग से जीवन–निर्वाह करने के लिए वह अधिक आय वाली नौकरी की कामना करती रही। इस समय उनके पास एक पुत्र हैं। पुत्र की देखरेख इनकी मां करती हैं। अपने काम पर जाने से पूर्व वह अपने बच्चे को अपनी मां के घर पहुंचा देती हैं तथा सायं लौटने पर बच्चों को साथ लेकर घर जाती हैं। वह अपने पति के साथ रहती है। पति उनके कम शिक्षित हैं, इस कारण कुछ बातों को लेकर दोनों में वाद–विवाद होता रहता है फिर भी श्रीमती ''न'' अपने पति से समायोजन करने का प्रयास करती है। श्रीमती ''न'' का अपने परिवार वालों से अच्छा सम्बन्ध नहीं हैं। इस कारण वह अपने पति के साथ अलग किराये के मकान में रहती हैं।

4.2 :– श्रीमती ''घ'' का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ।

इनकी आयु 35 वर्ष है तथा यह एक महिला पुलिस थाने में दिवान हैं। इनकी मासिक आय 26,000.00 रूपये है। इन्होंने बताया कि इनके माता–पिता इन्हें डाक्टर बनाना चाहते थे। परन्तु अनेकों प्रयास के बावजूद भी मेडिकल में इनका प्रवेश नहीं हो सका। इस कारण उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी तथा बी0एस0सी0 करने के बाद इन्हें महिला पुलिसकर्मी पद के लिए अवसर प्राप्त हुआ तथा सभी योग्यताएं पूरी करने के कारण उनका चुनाव महिला सिपाही पद पर कर लिया गया। इन्होंने बताया कि कार्योजन में आने के पश्चात् से ही उनके माता–पिता इनके लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, कई वर्ष के परिश्रम के बाद उन्हें एक लड़का मिला जो अध्यापक था। इनके माता–पिता ने इन्हें लड़का दिखाया तथा इन्होंने उसे पसन्द कर लिया और इनका विवाह उससे हो गया। इस समय श्रीमती ''घ'' के पास दो बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि विवाह के बाद भी कार्योजन करती रही, क्योंकि इनके पति की आय बहुत कम थी। वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती ''घ'' ने बताया कि इनका वैवाहिक जीवन संतोषजनक है। ये अपने पति और बच्चों के साथ अलग घर में रहती हैं। इन्होंने बताया कि कार्योजन के कारण इनके बच्चों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उनकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है। इनके बच्चे अभी छोटे हैं। इस कारण उनकी देखभाल के लिए इन्होंने आया की व्यवस्था की है। इनकी अनुपस्थिति में इनके पति भी बच्चों की देखभाल करते हैं। कार्यस्थल पर इनके सम्बन्ध अन्य सहयोगियों से अच्छे हैं।

4.3 :– श्रीमती ''ल'' एक मध्यवर्गीय परिवार की है। तथा एक महिला पुलिस थाने में होमगार्ड/चौकीदार के पद पर कार्य कर रही है। इनकी आयु 23 वर्ष है तथा 8000.00 रू0 प्रतिमाह वेतन पाती है। इनके पति एक प्राइवेट फर्म में सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव हैं। इन्होंने बताया कि मैंने प्रेम विवाह किया। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद जब ये कार्योजन में आयी तभी इनके सम्पर्क में एक युवक आया जो कि एक प्राइवेट फर्म में सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव था। धीरे–धीरे इनकी मित्रता उससे बढ़ी और बाद में चलकर यह प्रेम में परिवर्तित हो गयी। इन दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया, परन्तु लड़के के घर वालों की तरफ से कड़ा विरोध हुआ। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। अन्त में इन दोनों ने न्यायालय में विवाह कर लिया। इन्होंने बताया कि विवाह के उपरान्त इनके पति को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पति के घर वाले इन्हें किसी भी कीमत पर अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। विवाह के उपरान्त यह अपने पति के साथ अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इस समय श्रीमती ''ल'' के पास एक पुत्र हैं। वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती ''ल'' ने बताया कि वह अपने वैवाहिक जीवन से सन्तुष्ट हैं। इनके पति एक खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं तथा प्रत्येक कार्य में इनका सहयोग भी करते है। पति के घर वालों से इनके सम्बन्ध अब कुछ सुधर गये हैं। अब श्रीमती ''ल'' अपने ससुराल आया–जाया करती हैं तथा वे लोग भी इनके यहां आते हैं।

श्रीमती ''ल'' ने बताया कि अपनी कड़ी ड्यूटी के कारण यह अपने पुत्र के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण उसकी उपेक्षा

हो रही है। दोहरी भूमिका के कारण इन्हें कभी–कभी थकान एवं कार्यबोझ का भी अनुभव होता है।

इन वैयक्तिक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रेम विवाह की सम्भावनाएं कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों में अधिक है। प्रेम विवाह करने वाली अधिकतर महिला पुलिसकर्मी जीवन से समायोजित है। कुछ महिला पुलिसकर्मियों का ससुराली सम्बन्धियों से समायोजन नहीं हो पाता है। कुछ महिला पुलिसकर्मियों का विवाह माता–पिता द्वारा भी संयोजित होता है।

महिला पुलिसकर्मियों का वैयक्तिक इतिहास :–

4.4 :– श्रीमती ''ठ'' का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। इनकी आयु 30 वर्ष है। ये एक महिला पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर हैं तथा इनका वेतन 25,000 रूपये प्रतिमाह हैं। इन्होंने बताया कि जब मैं हाईस्कूल में पढ़ रही थी, उस समय उनकी एक लड़के से मित्रता हो गयी तथा बाद में चलकर यही मित्रता प्रेम में परवर्तित हो गयी। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद महिला पुलिस प्रतियोगी परीक्षा पास की एवं ट्रेनिंग करने के बाद एक महिला पुलिस थाने में दिवान के पद पर तैनात हो गयी। कार्योजन में आने के बाद श्रीमती ''ठ'' ने अपने माता–पिता के सामने उसी युवक से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जो कि उस समय सरकारी विभाग में लिपिक के पद पर कार्य कर रहा था। इनके पिता एक पुराने विचार वाले थे। इस कारण उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया, परन्तु

बाद में इनकी माता के समझाने पर वे मान गये तथा इनका विवाह उसी युवक से कर दिया।

इस समय श्रीमती ''ठ'' के पास दो पुत्रियां हैं। विवाह के बाद घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु इन्होंने कार्योजन स्वीकार किया। एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि वे अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से सन्तुष्ट हैं। इनके पति एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं जो घर के कार्यों में उनका सहयोग करते हैं। इनके सास–ससुर के साथ इनके साथ रहते हैं। श्रीमती ''ठ'' ने बताया कि सास–ससुर के साथ इनके सम्बन्ध अच्छे हैं। जब ये कार्योजन पर जाती है तो उनके बच्चों की देख–भाल करते हैं। तथा घर के कार्यों में भी इनका सहयोग करते हैं। अपनी दोहरी भूमिका के कारण श्रीमती 'ठ' कभी–कभी थकान का अनुभव करती है। यह एक शान्ति स्वभाव की महिला है। इस कारण कार्यस्थल पर भी अन्य सहयोगियों के साथ इनके सम्बन्ध अच्छे है।

4.5 :– श्रीमती ''श'' मध्यमवर्गीय परिवार की महिला है। इनकी आयु 42 वर्ष है। यह एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर हैं तथा 29000/– रूपये प्रतिमाह वेतन पा रही है। इनकी शैक्षिक योग्यता बी0ए0 है। इनके पति डाक विभाग में कार्य करते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता भी बी0ए0 है तथा इनका वेतन भी 19000/– रूपये प्रतिमाह है। श्रीमती 'श' ने बताया कि इन्होंने प्रेम विवाह किया। जब ये कालेज में पढ़ती थी तो उस समय एक लड़का जो इनके पड़ोस में रहता है। इनके घर आया–जाया करता

था उसके प्रति इनका आकर्षण था। धीरे–धीरे इनकी मित्रता उससे बढ़ गयी तथा बाद में प्रेम में परिणित हो गयी।

कार्योजन में आने के पश्चात् श्रीमती ''श'' ने अपने पिता के सामने उसी युवक से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले उनके पिता ने इसका विरोध किया किन्तु पुत्री की रूचि को ध्यान में रखते हुए उसका विवाह उसी युवक से करवा दिया। विवाह के पश्चात् श्रीमती ''श'' के पति का स्थानान्तरण हो गया।

इस समय श्रीमती ''श'' के पास चार बच्चे हैं। वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि यह अपने वैवाहिक जीवन से पूर्णतः सन्तुष्ट है। इनके पति एक अच्छे स्वभाव के उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं जो इनका तथा इनके बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक उदार एवं हंसमुख महिला है। जो अपने पति एवं बच्चों से प्रेम रखती है। इन्होंने बताया कि इन्हें अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। इस कारण ये घर पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती, जिससे इनके बच्चों को कठिनाई होती है। अपनी इस नौकरी के कारण कभी–कभी यह मानसिक तनाव का अनुभव करती है। इन्होंने अच्छे तथा विश्वास योग्य नौकरों की कमी बताई। उन्होंने बताया कि बच्चे अब अकेले रहने के आदि हो चुके हैं। चाहे जो भी समस्या हो इसे किसी प्रकार काम चलाना है। कार्यस्थल पर इनके सम्बन्ध अन्य सहयोगियों के साथ अच्छे हैं।

4.6 :– श्रीमती ''स'' एक महिला पुलिस थाने में महिला सिपाही के

पद पर कार्यरत है। इनकी आयु 35 वर्ष है। यह एक उच्च मध्यम परिवार की है। इन्होंने बताया कि उनका जन्म एवं भरण–पोषण एक अच्छे पारिवारिक वातावरण में हुआ। प्रारम्भ से ही उन्हें पढ़ाई–लिखाई में गहरी रूचि थी। बी0एस0सी0 पास करने के उपरान्त उन्होंने महिला पुलिसकर्मी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग लेकर महिला सिपाही पद पर नियुक्त हुई। इनकी शिक्षा में गहन रूचि को देखकर इनके छोटे भाई–बहनों को इससे बड़ी प्रेरणा मिली। वह भी उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। कार्योजन में आने के बाद ही उनके साथ पढ़े एक क्रिश्चियन लड़के ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बात को श्रीमती ''स'' ने अपनी माता के सामने रखा। शिक्षित होने के कारण उनकी माता ने पुत्री के प्रस्ताव पर विचार किया और अपने पति के सामने यह बात रखी तथा उन्हें समझा–बुझाकर विवाह के लिए राजी कराया। पुत्री की रूचि को देखते हुए माता–पिता ने श्रीमती ''स'' का विवाह उनकी इच्छानुसार कर दिया।

एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती ''स'' ने बताया कि उन्हें महिला पुलिस थाने में कार्य करने के साथ–साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। इससे वह काफी थक जाती हैं और मानसिक तनाव का अनुभव करती है। उन्होंने यह भी बताया कि आजकल विश्वासपात्र नौकर न मिलने के कारण उन्हें घर पर काफी काम करना पड़ता है। उनकी सास भी उनके साथ रहती है। सास हमेशा उनकी कमियां बताकर उन्हें परेशान करती है। इस कारण प्रायः पति–पत्नी में मतभेद हो जाता है। उन्होंने बताया कि

कड़ी ड्यूटी के कारण बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे सकती। जिससे बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पति'पत्नी और परिवार में समायोजन बनाये रखने का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। पति–पत्नी दोनों अपनी नौकरी से काफी संतुष्ट हैं और इसके कारण उनके सामाजिक सम्बन्ध व्यापक और अच्छे हैं।

वैयक्तिक अध्ययनों पर टिप्पणी :–

इन वैयक्तिक इतिहासों को पढ़ने से पता चलता है कि महिला पुलिस में भी वर्तमान समय में महिलाओं का कार्योजन में होना निषेधमूलक नहीं समझा जाता है तथा कार्योजन वैवाहिक जीवन में बाधक नहीं है।

अ– अधिकांश महिला पुलिसकर्मी विवाह के पूर्व ही कार्योजन में आ जाती हैं। विवाह होने के उपरान्त वे कार्योजन में ही रहती है।

ब– अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के परिवार एकाकी हैं, परन्तु जहां पर महिलायें पति के परिवार वालों के साथ रहती हैं। वहां उन्हें कार्योजन के कारण कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है।

स– कुछ महिला पुलिसकर्मी ऐसी हैं जो घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु विवाह के बाद कार्योजन में आयी हैं।

द– जिन महिला पुलिसकर्मियों के पास प्रोफेशनल डिग्री होती है वे पारिवारिक समस्याओं के होते हुए भी कार्योजन में रहना चाहती हैं।

य– पति की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कुछ महिला पुलिसकर्मी अपनी मां के घर पर रहती है।

महिला पुलिसकर्मियों के विवाह का गुजरा हुआ वर्ष :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के विवाह की अवधि अधिकतम प्रतिशतता उन महिला पुलिस कर्मियों की थी जिनके कार्योजन में आने पर विवाह की अवधि 9–12 वर्ष हो गयी है।

सारणी संख्या– 5.4

महिला पुलिसकर्मियों के विवाह का गुजरा हुआ वर्ष

क्र0 सं0	विवाह का गुजरा वर्ष	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1–4 वर्ष	14	4.66
2	5–8 वर्ष	78	26.00
3	9–12 वर्ष	128	42.66
4	उत्तर नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 4.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को गुजरे हुये 1 से 4 वर्ष हो गये हैं। 26.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने पर विवाह को 5–8 वर्ष हो गये हैं। 42.66 प्रतिशत कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने पर विवाह को 9–12 वर्ष हो गये हैं तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अभी भी अविवाहित हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के रागात्मक असन्तोष के परिणाम :–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से कुछ कारणों से उनके रागात्मक असन्तोष की भी भावना उत्पन्न होती है। इस विवशता के कारण केवल कुछ महिलाएं नौकरी छोड़ना अधिक उचित समझती हैं।

सारणी संख्या– 5.5

महिला पुलिसकर्मियों के रागात्मक असन्तोष के परिणाम

क्र0 सं0	रागात्मक असन्तोष के परिणाम	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नौकरी छोड़ने की इच्छुक	15	05.00
2	घर छोड़ने की इच्छुक परन्तु नौकरी नहीं	69	23.00
3	पति से दूरी स्वीकार परंतु नौकरी नहीं छोड़ना	136	45.33
4	ऐसी समस्या नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि रागात्मक असन्तोष के कारण नौकरी छोड़ने की इच्छुक हैं। 23.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी घर छोड़ सकती है लेकिन नौकरी नहीं। 45.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ऐसी हैं जो पति से दूर रहना कबूल करती हैं परन्तु नौकरी छोड़ना नहीं। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पास ऐसी समस्या नहीं हैं।

महिला पुलिसकर्मियों का वैवाहिक समायोजन (प्रमाण के आधार

पर)–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के वैवाहिक समायोजन का मापन किया गया है। अधिकांश कार्योजित महिलाएं वैवाहिक जीवन में समायोजित हैं।

सारणी संख्या– 5.6

महिला पुलिसकर्मियों का वैवाहिक समायोजन–

क्र0 सं0	**वैवाहिक समायोजन**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	उच्चतर	15	05.00
2	उच्च	75	25.00
3	मध्यम	91	30.33
4	निम्न	39	13.00
5	उत्तर नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्चतर स्तर पर समायोजित हैं। तथा 25.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्च स्तर पर समायोजित होते हैं। 30.33 प्रतिशत मध्यम श्रेणी में समायोजित हैं तथा 13.00 प्रतिशत निम्न श्रेणी में समायोजित है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं।

(ख) महिला पुलिसकर्मियों के पारिवारिक आयाम एवं समायोजन–

आर्थिक कठिनाईयों के कारण बहुत सी महिलायें नौकरी करती हैं

जिससे उनका परिवार आर्थिक कठिनाईयों से मुक्त रहें लेकिन आज के समाज में स्त्रियां सिर्फ लाभ की दृष्टि से नौकरी नहीं करती है, वरन् अपनी प्रतिभा का सदुपयोग, समाज में प्रतिष्ठा, स्वतन्त्र रहने हेतु तथा स्वावलम्बी बनने के उद्देश्य से भी नौकरी करना चाहती हैं जिनका परिणाम कभी–कभी ऐसा भी होता है कि घर के सदस्यों को उनके कार्योजन पर जाने से परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य कोई न कोई उपाय ढूंढ़ लेते हैं जैसे पति घरेलू कार्यों में सहयोग करता है। छोटे बच्चों को मां की अनुपस्थिति में कष्ट होता है। जिनके कारण महिला पुलिसकर्मी सर्वदा चिंतित रहती है। लेकिन वे भी उस परिस्थिति में समायोजन का कोई न कोई उपाय ढूंढ़ लेती हैं। महिलाओं के कार्य करने से जो सहायता मिलती है उससे परिवार के सदस्य वंचित नहीं रहना चाहते हैं। अतः थोड़ी बहुत परेशानियों को ध्यान नहीं देते। घर के अन्य सदस्यों को जिन परेशिानियों का सामना करना पड़ता है उससे भी वह अपने को समायोजित करने का प्रयास करती हैं।

इसमें लगभग सभी आयाम आ जाते हैं जैसे महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पति को दिये जाने वाले समय से पति–पत्नी की संतुष्टि, सास–ससुर तथा घर के अन्य सदस्यों से महिला पुलिसकर्मियों का सम्बन्ध, बच्चों को जो समय दे पाती हैं, उससे उनके बच्चे कितना संतुष्ट रहते हैं। महिला पुलिसकर्मियों को दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है उससे उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा नारी किस कुशलता से अपने दोनों भूमिकाओं को निभाती है और अपने को परिवार में

समायोजित करती है।

महिला पुलिसकर्मियों के अनुदित समय से उनके पति की संतुष्टि–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से वे अपने पति को जितना समय दे पाती हैं उससे अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के पति संतुष्ट हैं।

सारणी संख्या– 5.7

महिला पुलिसकर्मियों के अनुदित समय से उनके पति को संतुष्टि–

क्र0 सं0	पति की संतुष्टि	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अत्यधिक संतुष्टि	15	05.00
2	सन्तुष्ट	155	51.66
3	असन्तुष्ट	35	11.66
4	अत्यधिक असन्तुष्ट	15	05.00
5	पति नहीं हैं	80	26.66
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 05.00 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी अपने पति को जितना समय देती है उससे वे अत्यधिक सन्तुष्ट हैं। 51.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति सन्तुष्ट हैं। 11.66 प्रतिशत कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों के पति असन्तुष्ट हैं। यह ऐसी महिलायें हैं जो तलाकशुदा है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति नहीं हैं। अतः आंकड़ों के देखने से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः

महिला पुलिसकर्मी अपने पति को जितना समय दे पाती हैं, उससे वे सन्तुष्ट हैं।

महिला पुलिसकर्मियों की अनुदित समय से उनके बच्चों की सन्तुष्टि–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से वे अपने बच्चों को जितना समय दे पाती हैं, उससे अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे असन्तुष्ट हैं। परन्तु महिलायें अपने बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयत्न करती हैं।

सारणी संख्या– 5.8

महिला पुलिसकर्मियों के अनुदित समय से उनके बच्चों की सन्तुष्टि

क्र0 सं0	बच्चों की संतुष्टि	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अत्यधिक सन्तुष्ट	15	05.00
2	सन्तुष्ट	65	21.66
3	असन्तुष्ट	110	36.66
4	अत्यधिक असन्तुष्ट	30	10.00
5	बच्चे नहीं हैं।	80	26.66
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने बच्चों को जितना समय देती हैं। उससे वे

अत्यधिक सन्तुष्ट हैं। 21.66 प्रतिशत महिला पुलिस कमियों के बच्चे सन्तुष्ट हैं। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे असन्तुष्ट हैं। 10. 00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे अत्यधिक असन्तुष्ट हैं तथा 26. 66 प्रतिशत महिलाओं के पास बच्चे नहीं हैं।

आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि महिला पुलिसकर्मियों के अनुदित समय से उनके अधिकांश बच्चे असन्तुष्ट हैं। कुछ अन्य अध्ययन जो कार्योजित महिलाओं पर किये गये हैं, ऐसा पाया गया है कि अधिकांश कार्योजित महिलाओं के बच्चे अनुदित समय से सन्तुष्ट नहीं हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के कार्योजन में होने से बच्चों पर प्रभाव–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने से उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस अध्याय में इसका अध्ययन किया गया है।

सारणी संख्या– 5.9

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने से बच्चों पर प्रभाव

क्र0 सं0	बच्चों पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बच्चों को कष्ट उठाना पड़ रहा है।	30	10.00
2	बच्चे स्वावलम्बी हो रहे हैं।	110	36.66
3	बच्चों को कोई कठिनाई नहीं हैं।	80	26.66
4	बच्चे नहीं हैं।	80	26.66

	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से बच्चों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से उनके बच्चे स्वावलम्बी हो रहे हैं। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने के कारण उनके बच्चों को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ रही है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पास बच्चे नहीं हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकतम प्रतिशतता उन महिला पुलिसकर्मियों की है जिनके कार्योजन के कारण उनके बच्चे स्वावलम्बी हो रहे हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्य पर जाते समय उनके बच्चों की देखभाल का भार–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्य पर जाते समय अपने बच्चों को किसके पास छोड़ जाती है? इस सन्दर्भ में अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए आया की व्यवस्था की है। एक अध्ययन में ऐसा देखा गया है कि अधिकांश कार्योजित महिलाएं अपने बच्चों को परिवार वालों के पास छोड़कर जाती हैं।

सारणी संख्या– 5.10

महिला पुलिसकर्मियों के कार्य पर जाते समय बच्चों की देखरेख का भार–

क्र0 सं0	बच्चों की देखभाल का भार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आया की व्यवस्था	76	25.33
2	सास के पास	70	23.33
3	परिवार के अन्य सदस्यों के पास	20	06.66
4	अपनी मां के पास	12	04.00
5	बच्चे बड़े हो गये हैं	42	14.00
6	बच्चे नहीं हैं	80	26.66
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 25.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्य पर जाते समय अपने बच्चों को आया के पास छोड़कर जाती हैं। 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे अपने बच्चों को अपनी सास के ऊपर छोड़कर जाती हैं। 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों को अपने पति के परिवार के अन्य सदस्यों के पास छोड़कर जाती हैं। 04.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी मां के पास बच्चों को छोड़कर जाती हैं। 14.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे बड़े हो गये हैं तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे नहीं हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के पतियों को उनके कार्योजन से सन्तुष्टि–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में जाने से उनके पति सन्तुष्ट हैं। अन्य अध्ययनों में भी देखा गया है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के पति उनके कार्योजन से सन्तुष्ट रहते हैं।

सारणी संख्या– 5.11

महिला पुलिसकर्मियों के पतियों को उनके कार्योजन से सन्तुष्टि–

क्र0 सं0	पति को कार्योजन से सन्तुष्टि	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अत्यधिक सन्तुष्ट	25	08.33
2	सन्तुष्ट	160	53.33
3	असन्तुष्ट	20	06.66
4	अत्यधिक असन्तुष्ट	15	05.00
5	लागू नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 08.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से उनके पति अत्यधिक सन्तुष्ट हैं। 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति सन्तुष्ट हैं। 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति असन्तुष्ट हैं। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति अत्यधिक असन्तुष्ट हैं तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं जिन पर यह लागू नहीं है।

महिला पुलिसकर्मियों के ससुराली सम्बन्धियों का उनके कार्योजन से सन्तुष्टि–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से ससुराली सम्बन्धियों के सन्तुष्टि के बारे में अभिवृत्ति जानी गयी है। जिसमें अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के ससुराली सम्बन्धी उनके कार्योजन से सन्तुष्ट हैं। कुछ अन्य अध्ययन जो कार्योजित महिलाओं पर किये गये हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि अधिकांश महिलाओं के परिवार वाले उनके कार्योजन से

सन्तुष्ट हैं।

सारणी संख्या– 5.12

महिला पुलिसकर्मियों के ससुराली सम्बन्धियों का उनके कार्योजन से सन्तुष्टि–

क्र0 सं0	ससुराली सम्बन्धियों को कार्योजन से सन्तुष्टि	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अत्यधिक सन्तुष्ट	60	20.00
2	सन्तुष्ट	130	43.33
3	असन्तुष्ट	15	05.00
4	अत्यधिक असन्तुष्ट	15	05.00
5	लागू नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के ससुराली सम्बन्धियों को उनके कार्योजन से अत्यधिक सन्तुष्ट हैं। 43.33 प्रतिशत महिलाओं के पति के परिवार वाले (ससुराली सम्बन्धी) उनके कार्योजन से सन्तुष्ट है। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति के परिवार वाले असन्तुष्ट हैं तथा 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति के परिवार वाले अत्यधिक असन्तुष्ट हैं और 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों पर यह शर्त लागू नहीं होती क्योंकि वे अविवाहित हैं।

महिला पुलिसकर्मियों का पति/घर वाला के न चाहने पर कार्योजन छोड़ने के प्रति अभिवृत्ति–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के पति के न चाहने पर

कार्योजन छोड़ने के प्रति अभिवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी है। जिसमें अधिकतम प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने इस सम्बन्ध में कुछ न कहने का विचार दिया।

सारणी संख्या– 5.13

महिला पुलिसकर्मियों के पति/घरवाला के न चाहने पर कार्योजन छोड़ने के प्रति अभिवृत्ति

क्र0 सं0	कार्योजन छोड़ने के प्रति अभिवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कार्योजन छोड़ देंगी	15	05.00
2	पति छोड़ देंगी	136	45.33
3	कह नहीं सकते	149	49.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी पति के न चाहने पर कार्योजन छोड़ सकती हैं। 45.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि पति को छोड़ देंगी परन्तु कार्योजन नहीं। 49.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने कहा कि इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कह सकती। कुछ अन्य कार्योजित महिलाओं के अध्ययन से भी मिलता है कि कार्योजित महिलाएं पति छोड़ सकती हैं पर कार्योजन नहीं छोड़ सकती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार सीमित रखने के सन्दर्भ में विचार–

महिला पुलिस कर्मियों के परिवार सीमित रखने के सन्दर्भ में उनके

विचारों को जाना गया है। जिसमें अधिकतम प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी परिवार सीमित रखने के पक्ष में हैं।

सारणी संख्या– 5.14

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार सीमित रखने के सन्दर्भ में उनके विचार–

क्र0 सं0	विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	परिवार सीमित रखने के पक्ष में हैं	210	70.00
2	परिवार सीमित रखने के पक्ष में नहीं हैं	90	30.00
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 70.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी परिवार को सीमित रखने के पक्ष में हैं। केवल 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी परिवार को सीमित रखने के पक्ष में नहीं हैं।

महिला पुलिसकर्मियों का घर से दूर नौकरी करने के सम्बन्ध में विचार–

महिला पुलिसकर्मियों का अपने घर से दूर नौकरी करने जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें अधिकतम प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को घर से दूर नौकरी करने जाना पड़ा है।

सारणी संख्या– 5.15

महिला पुलिसकर्मियों के घर से दूर नौकरी करने के सम्बन्ध में विचार–

क्र0 सं0	नौकरी घर से दूर करती हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	258	86.00
2	नहीं	42	14.00
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 86.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को नौकरी करने घर से दूर आना पड़ा है। इसलिए वे अपनी घर गृहस्थी की देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं। 14.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को नौकरी घर से दूर करने नहीं आना पड़ा है।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्य से घर लौटने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से घर पर लौटने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी है जिनमें अधिकांश महिलायें थकावट का अनुभव करती हैं।

सारणी संख्या– 5.16

महिला पुलिसकर्मियों के कार्य से घर लौटने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति–

क्र0 सं0	शारीरिक एवं मानसिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	थकावट का अनुभव	148	44.33
2	कार्यमुक्ति का बोध	102	34.00
3	संतोष का अनुभव	20	06.66
4	ताजगी का अनुभव	30	10.00
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 49.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्योजन से घर लौटने पर थकान का अनुभव करती हैं। 34.00 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि वे कार्योजन से घर लौटने पर कार्यमुक्ति का अनुभव करती हैं। 06.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी संतोष का अनुभव करती है तथा 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्योजन से घर लौटने पर ताजगी का अनुभव करती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के पति का घरेलू कार्यों में योगदान–

महिला पुलिसकर्मियों का कार्योजन में आने के कारण उनके पति घर के कार्यों में सहयोग देते हैं या नहीं? प्रस्तुत अध्याय में इसी बात की जानकारी प्राप्त की गयी है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकतम प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति घरेलू कार्यों में सहयोग नहीं देते हैं। कुछ अन्य अध्ययनों में यह पाया गया है कि कार्योजित महिलाओं के पति घरेलू कार्यों में सहयोग देते हैं।

सारणी– 5.17

महिला पुलिसकर्मियों के पति का घरेलू कार्यों में योगदान–

क्र0 सं0	पति का घरेलू कार्यों में सहभाग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सहभाग है	45	15.00
2	सहभाग नहीं है	135	45.00
3	कभी–कभी सहभाग	40	13.33
4	लागू नहीं	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति घरेलू कार्यों में सहयोग करते हैं। 45.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पति घरेलू कार्यों में उनकी सहायता नहीं करते हैं। 13.33 प्रतिशत पति कभी–कभी सहयोग करते हैं तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं जिन पर यह लागू नहीं होता है।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने के कारण उनके पतियों को कठिनाईंया–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने के कारण उनके पतियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कार्योजन द्वारा उत्पन्न कठिनाईयों से वे समायोजित हो जाते हैं। केवल कुछ पतियों को खान–पान सम्बन्धी

कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

सारणी संख्या– 5.18

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने के कारण उनके पतियों को कठिनाईयाँ–

क्र0 सं0	पतियों की कठिनाईयां	संख्या	प्रतिशत
1	पति की इच्छा और भावना के प्रति कम समय देना	35	11.66
2	पति को बच्चों को देखना पड़ता है।	15	05.00
3	पति की खान–पान सम्बन्धी कठिनाईंया	30	10.00
4	पति को कोई समस्या नहीं हैं।	140	46.66
5	लागू नहीं हैं।	80	26.66
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 11.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने पतियों को उनकी इच्छानुसार समय नहीं दे पाती हैं। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि उनके पतियों को बच्चों की देख–रेख करनी पड़ती है। 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के पतियों को खान–पान सम्बन्धी कठिनाईयों का अनुभव होता है। 46.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजित होने से उनके पतियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों पर यह बात लागू नहीं होती है।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से परिवार एवं अन्य सदस्यों को कठिनाईयां–

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से उनके परिवार के अन्य सदस्यों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से परिवार एवं अन्य सदस्यों को होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया गया है।

सारणी संख्या– 5.19

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से परिवार एवं अन्य सदस्यों को कठिनाईयाँ

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों को कठिनाईयाँ	आवृत्ति	प्रतिशत
1	परिवार के सदस्यों को बच्चों की देखभाल करना पड़ता है	21	07.00
2	परिवार के सदस्यों की सहायता न करने से कठिनाईयाँ	15	05.00
3	परिवार के सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं हैं	60	20.00
4	परिवार से अलग हैं	204	68.00
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 07.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को कार्योजन में आने से परिवार के अन्य सदस्यों को उनके बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता न कर पाने से

उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन में आने से उनके परिवार वालों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। 68.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी परिवार से अलग रहते हैं।

महिला पुलसकर्मियों के वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बनाने वाले कारण–

महिला पुलिसकर्मियों के वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बनाने के अनेक कारण हैं, अधिकांश महिलायें कार्योजन में आकर अपनी आमदनी में वृद्धि करके अपने वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बना रहे हैं।

सारणी संख्या– 5.20

महिला पुलिसकर्मियों के वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बनाने वाले कारण–

क्र0 सं0	सन्तोषप्रद बनाने के कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आमदनी में वृद्धि करके	186	62.00
2	आधुनिक विचार एवं व्यवहार	51	17.00
3	वृहद सामाजिक सम्पर्क	36	12.00
4	ऊपर के तीनों कारण	18	06.00
5	कोई प्रभाव नहीं	09	03.00
	योग	300	100.00

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 62.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कार्योजन में आकर अपनी आमदनी में वृद्धि करके अपने

वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बना रही हैं। 17.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी आधुनिक विचार एवं व्यवहार द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को सन्तोषप्रद बना रहे हैं। 12.00 प्रतिशत महिलायें वृहद सामाजिक सम्पर्क द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को सन्तोषजनक बना रही है। 16.00 प्रतिशत महिलायें कार्योजन में आकर उपर्युक्त तीनों कारणों द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को संतोषजनक बना रही है। मात्र 03.00 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि कार्योजन का उनके वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निष्कर्ष–

महिला पुलिसकर्मियों के वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित आंकड़ों के साथ वैयक्तिक इतिहास भी दिये गये हैं। इन सभी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कार्योजन के कारण महिलाओं के जीवन में असामंजस्य उत्पन्न नहीं होता है। अधिकांश महिला पुलिसकर्मी वैवाहिक सामंजस्य के प्रमाण पर उच्च स्तर पर समायोजित है। आमद में वृद्धि और प्रतिदिन के जीवन में खुलापन होने के कारण वैवाहिक जीवन मधुर और सामंजस्यपूर्ण है। जैसे–जैसे आयु बढ़ती जाती है और पारिवारिक दायित्व बढ़ता जाता है वैसे–वैसे रागात्मक प्रवृत्ति और हरदम साथ रहने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इससे समायोजन में कमी आती है। कार्योजन से वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कुसामंजस्य नहीं उत्पन्न हुआ है।

महिला पुलिसकर्मियों में अधिकांश 40.33 प्रतिशत ने माता–पिता

द्वारा तय किये गये विवाह किये हैं। 21.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी इच्छा एवं माता–पिता की राय से विवाह किया है। 12.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने प्रेम विवाह किया है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित है। 41.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाह से पूर्व से ही कार्योजन में थी। 32.00 प्रतिशत विवाह के बाद कार्योजन में आयी। 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जाति में विवाह किया है। 20.00 प्रतिशत ने अन्तरजातीय विवाह किया है। 05.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाह के बाद कार्योजन छोड़ सकती है। 23.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी घर छोड़ सकती है लेकिन नौकरी नहीं। 45.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ऐसी हैं जो पति से दूर रहना कबूल करती हैं परन्तु नौकरी छोड़ना नहीं।

वर्तमान अध्याय में महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन के कारण उनके पति एवं बच्चों तथा दूसरे सगे सम्बन्धियों को जो कठिनाई उठानी पड़ती है उन पर प्रकाश डाला गया है और यह देखा गया है कि वे उन कठिनाईयों से कैसे समायोजित होती है? अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे अपने पति को जितना समय दे पाती हैं वे उससे सन्तुष्ट हैं। परन्तु अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे दिये गये समय से सन्तुष्ट नहीं है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 36.66 प्रतिशत बच्चे अपनी माता द्वारा अनुदित समय से असन्तुष्ट हैं। 21.66 प्रतिशत बच्चे सन्तुष्ट हैं। 05.00 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक संतुष्ट है। 10.00 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक असंतुष्ट हैं। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है

कि उनके कार्योजन में आने से बच्चों को कोई कठिनाई नहीं है। 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनके बच्चों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे स्वावलम्बी हो रहे हैं।

अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनके कार्योजन ग्रहण करने से उनके पति संतुष्ट हैं। आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 43.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के ससुराली सम्बन्धी उनके कार्योजन से सन्तुष्ट हैं तथा महिला पुलिसकर्मियों को समर्थन एवं सहायता करते हैं। अधिकांश महिला पुलिसकर्मी परिवार सीमित रखने के पक्ष में हैं।

अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों को नौकरी करने के लिए घर से दूर आना पड़ा है। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनके कार्योजन से परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कठिनाई नहीं होती है।

अधिकांश महिला पुलिसकर्मी कार्यस्थल से घर लौटने पर थकावट का अनुभव करती हैं। अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों के पति कार्योजन में सहयोग नहीं देते हैं। अधिकांश महिला पुलिसकर्मी आमदनी में वृद्धि करके अपना वैवाहिक जीवन संतोषजनक बना रही हैं तथा कुछ वृहद सामाजिक सम्पर्क इत्यादि द्वारा वैवाहिक जीवन संतोषजनक बना रही हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से उनकी दोहरी भूमिका होने के कारण परिवार के सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वह

अपने पति एवं बच्चों को उपयुक्त समय नहीं दे पाती है। यहां पर नई जीवन शैली का प्रश्न उत्पन्न होता है। बच्चे मां के काम पर जाने के बाद घर के शेष सदस्यों के साथ समायोजित हो जाते हैं। मां उन्हें छोड़कर कार्य करने जाती हैं और वे दूसरों सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। ये नया समायोजन यद्यपि दोनों पक्षों के लिए कष्टदायक है परन्तु फिर भी समायोजन के रूप में स्थापित हो जाते हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्योजन से जो आर्थिक लाभ होता है। उन्हें परिवार स्वीकार करता है। आमदनी में वृद्धि से जीवन स्तर बढ़ता है तथा बच्चों के पालन–पोषण पर अधिक खर्च किया जा सकता है। महिला पुलिस कर्मियों की परिवार में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। यही कारण है कि महिला पुलिसकर्मियों को कार्योजन से अलग करने का निर्णय न परिवार लेता है न महिला स्वयं लेती है। नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हुए परिवार का हर एक सदस्य महिला पुलिसकर्मियों की दोहरी भूमिका के निर्वाह में सहायक होता है।

*****

<u>सन्दर्भ सूची (REFERENCES)</u>

1. Cattrell, Leonard, S. Jr., Roles and Martal Adjustment, Publication of the American Sociological Society, Vol.

XXVIII, No. 2, Chicago University Press, Chicago, 1983, pp. 107-115

2. Frumkin, Robert, M., The Mesurement of Marriage Adjustment D.C. Public Affairs Free Press, Washington, 1954. Also Looke, Harvey, J. and Mackeprang, Muriel, Marital Adjustement and the employed wife, American of Sociology, Vol. 54, No. 6, May 1949, pp. 536-537.

Also, Frumkin, Robert M. The Kirk Partic Scale of Family Interest as an Instument for the Indirect Assesment of Marital Adjustment, Marriage and Family living, Vol. 15, 1953, pp. 35-37.

3. Merchent K.T., Changing Views on Marriage and Family, Madras, B.G. Paul and Co., 1938.

4. Hate, C.A., The Social Position of Hindu Woman, Unpublished Ph.D thesis, University School of Economics and Sociology, Bombay, 1946.

5. Kapoor, Pramilla, Mariage and Working Women in India, Delhi, Vikas Publishing House, 1970

6. Kapur, Pramilla, The Changing and Role and Status of Women, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd., 1972, p.11

7. Jauhari, Prem, Status of Working Women, Ph.D. Thesis,

University of Lucknow, 1970

8. Krishnamurthy, N.S.R., The Emerging Young Woman of India, Journal of Family Welfare, Vol. 16, No. 4, 1969-70, pp. 33-38.

9. Kirkpatric, Clifford, Factors in Marital Adjustemnt, American Journal of Sociology, Vol. 43, No.2, 1973, pp. 270-283.

Also, Welliamson, Re, Economic Factors in Marital Adjustment, Marriage and Family Living, Vol. 14, Nov. 1952, pp. 298-301

10. Cattrell, op.cit, The Adjustment of Individual to His Age and Sex Roles, American Sociological Review, Vol. VII, Oct. 1942, pp. 617-620.

11. Traves, MArvin, J., A Direct Vz An Indirect Approach in Measuring Marital Adjustment, American Sociological Review, Vol. 13, 1948, pp. 538-541.

12. Also, Terman, Lewis, M., and Johnson, Wenifred B., Methodology and Result of Recent Studies in Marital Adjustment, American Sociological Review, Vol.4, 1939, pp. 307-324.

Also, Mudd, Emile, H., and Goodwin, Hilday M., Marital Problems and Marital Adjustment, Encyclopedia of Mental Health, Vol. 3, Editor in Chief Albert Dentech, New York,

Franklinwatta, Inc., 1963.

13. Locks, Haprey, I., And Macheprong, Miriel, Marital Adjustment and Employed Wife, American Journal of Sociology, Vol. 54, No.6, May 1944, pp. 536-37.

14. Mahajan Amarjees, Women's Two Roles, A Study of Role Conflict, The Indian Journal of Social Works, Vol. XXVI, No. 1, March 1966, pp. 377-88.

15. Joshi, Rama, J., Contemporary Change in the Socio-Economic Role of Women the Indian, Its Impact on Family Life, The Position of Women in India, Janala Bhasin (ed)., Bombay Lastle, Sawhney Programme of Training for Democracy, 1973.

16. Paphate Savita Karyoji 1- Mahilayoka Karya Avan Parivar Samayojan Ka Samaj Vogynte Adhyan, Unpublished Ph.D thesis, Banaras Hindu University, Varanasi, March 1987. pp. 158-59.

17. Rani Kala, Role Conflict in Working Women Chetan Publications, New Delhi, 1976, pp. 94-96.

18. Gupta, G.C., Role of Husband and Wife. Among Working Class Families, Unpublished Dissertation of Diploma in Social Service Administration, Bombay, Sir Dorabji Pata

Graduate School of Social Work, 1951.

19. Rani Kala, op.cit, p. 100

20. Pathak, Savita, op,cit, p.167

21. Lieberian Seymour, The Role Effect of Changes in the Role on the Attitude of Role Occupants Human Relations, Vol. 9, No. 4, 1945, pp. 385-402

22. Kapur, Rama, Role Conflict Among Employed House Wives, Indian Journal of Industrial Relation, Vol. 5, No.1, July 1969, pp. 39-76

23. Poster, R.G. Marriage and Family Relationship, New York, Macmillian Company, 1950.

24. Felson, Joseph, K., The Family and the Democratic Society London, Routhledge and Kegan Paul, L.M., 1948.

25. Pathak, Savita, op.cit, p. 171

26. Harlley, R.E. Curerct Pattern of Sex Roles Childrens Perspectives Journal of National Association of Women Deans Counsel, Vol. 25, No. 3, 1961, p.13.

✵✵✵✵✵